# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग 2930- II-16

सरदार सिंह पुत्र श्री काबल सिंह छोपाराय जाति सिख आयु 47 साल, व्यवसाय कृषि , निवासी ग्राम खडीचरा तहसील व जिला अशोक नगर म.प्र. हाल निवासी 122 लेख सिटी कालोनी अशोक नगर म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

मंजू पुत्र हीरा चमार निवासी ग्राम खडीचरा तहसील व जिला अशोक नगर

....... अनावेदक

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त 3 राजपुर तहसील अशोक नगर प्रकरण क्रमांक 23ए 70/ 2015–16 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2016 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है ।**

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार अशोक नगर के समक्ष सीमाकंन कराने हेतु प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण क्रमांक 36 अ 12 / 15–16 था जो दिनांक 02.06.2016 को दिया गया।
2. यहकि, अनावेदक द्वारा उक्त सीमाकंन में आवेदक का कब्जा पाया गया जो सर्वे नं. 11/ 2 क/ , 2 रकवा 0.170 हे. नम्बर 11/2ख/1 रकवा 0.497 हे. किता 2 कुल रकवा 0.209 हेक्टर भूमि पर आवेदक ने कब्जा कर लिया है इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय अशोक नगर के

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ**

**प्रकरण कमांक** निगरानी 2930–दो/16 **जिला** अशोकनगर

सरदार विरूद्ध मंजू

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21 –9–2016 | आवेदक अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।<br>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 23/ए–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–8–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलबध आदेश की सत्यापित प्रति एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने दिनांक 27–8–16 को प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा उक्त पटवारी रिपोर्ट पर आपत्ति की गई, परन्तु नायब तहसीलदार ने उक्त पटवारी रिपोर्ट पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौखिक आपत्ति का निराकरण न कर पटवारी कथन हेतु प्रकरण नियत करने में त्रुटि की है। अतः प्रकरण नायब तहसीलदार वृत 3 राजपुर तहसील अशोकन को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर की गई आपत्ति का निराकरण करें तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।<br>पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>(के0सी0 जैन)<br>सदस्य | |